

राज्य सभा सचिवालय
(एम.एस.एंड ए अनुभाग)

कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्ति की नियुक्ति करने संबंधी सूचना

मैंने सचिवालयी सहायता प्राप्त करने के लिए दिनांक _____ से श्री/श्रीमती
/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पति/पत्नी _____
_____ निवासी _____ को नियुक्त
किया है।

उन्हें _____ (कृपया
निम्नलिखित विकल्पों में चयन की गई भुगतान रीति का यहां उल्लेख करें) के माध्यम
से _____ रूपये[@] (_____ रूपये)
की धनराशि का भुगतान किया जाए।

- (i) संसदीय सौध/संसद भवन स्थित भारतीय स्टेट बैंक में मेरे वैयक्तिक सहायक की खाता सं. _____
(ii) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से सेल्फ चेक और इसे मेरे स्थानीय पते पर भेजा जाए।
(iii) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से सेल्फ चेक और इसे मेरे स्थाई पते पर भेजा जाए।
iv) मेरे वैयक्तिक सहायक के नाम से सेल्फ चेक जिसे एम.एस. एंड ए अनुभाग से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जाएगा।

नियुक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर: _____
(जिसका नाम ऊपर दिया गया है)

* यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ कम्प्यूटर
साक्षर हैं।

हस्ताक्षर _____

सदस्य का नाम _____

आई.सी संख्या _____

विभाजन संख्या _____

@ - 14,000/- रूपये की कुल धनराशि में हिस्सा

* - केवल उन व्यक्तियों पर लागू जो कम्प्यूटर साक्षर हैं।

नोट: सदस्य द्वारा नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग-अलग फार्म भरे जाने चाहिए।